

I/11325/2021

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :— 01 / भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)–01 / 2021.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०स०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढी
प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया।

पटना, दिनांक :—

विषय :-

मुख्य शीर्ष— 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष –00— लघु शीर्ष 102— सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य — उप शीर्ष –0101— सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपके कार्यालय हेतु वेतनादि मद एवं संविदा सेवाएँ मद में कुल—**3,10,59,056/-** (तीन करोड़ दस लाख उनसठ हजार छप्पन) रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :—

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 06 चि०भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	बन्दोबस्त पदाधि कारी, सीतामढी	—	—	—	—	3,00,00,000	3,00,00,000
2	प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।	750400	232624	60032	16000	—	10,59,056
कुल योग :—		750400	232624	60032	16000	30000000	3,10,59,056

(तीन करोड़ दस लाख उनसठ हजार छप्पन रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक — 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

I/11325/2021

-2-

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कठौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्त अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

Signed by Jai Singh

भू-अभिलेख Date: 05/10/2021 17:38:43

Reason: Approved

प्रतिलिपि :-..

1. महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई०टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।